युवाओं को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री भजनलाल

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, 1 लाख 88 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है

जयपुर, 04 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से नियत समय में पूरा कराने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सवा साल के अल्प कार्यकाल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन कर अब तक 67 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। भविष्य में हर तीन माह में ऐसे मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति का तोहफा दिया जाएगा।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर लंबित एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में 1 लाख 88 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती विज्ञापन जारी करने, परीक्षा आयोजित करने, परिणाम घोषित करने तथा दस्तावेजों की जांच करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को निर्बाध गति से पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन और कार्मिक लगाकर शीघ्र से शीघ्र नियुक्तियां प्रदान की जाएं।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से न्यायालय में लंबित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को लंबित एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्तियों से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन और कार्मिक लगाकर शीघ्र से शीघ्र नियुक्तियां प्रदान की जाएं।

- **मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपने यहाँ रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती करें।**

लगभग 9 हजार 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को, प्रभावी पैरवी करवाकर, आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपने यहां रिक्त पदों पर समयबद्ध रूप से भर्ती करें। शर्मा ने कहा कि एक जैसे पदों के लिए अलग-अलग विभागों में अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होने से अतिरिक्त समय, संसाधन और श्रम लगता है। इसे देखते हुए, समान पदों के लिए समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में एकरूपता लायी जाए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, अखिल अरोड़ा, अपर्णा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, कुलदीप रांका, श्रेया गुहा, आनंद कुमार, प्रवीण गुप्ता, भास्कर ए.सावंत, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता सहित, विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव तथा आरपीएससी एवं आरएसएसबी के अधिकारीगण उपस्थित थे।

म्यांमार में एक सप्ताह में भूकंप के 66 झटके आए

यांगून, 04 अप्रैल। देश के मौसम विज्ञान और जल विज्ञान विभाग के अनुसार, गुरुवार सुबह तक म्यांमार में 2.8 से 7.5 तीव्रता के 66 झटके महसूस किए गए।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ये झटके पिछले शुक्रवार को देश में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद आए हैं। इस बीच, राज्य प्रशासन परिषद (एसएसी) के अध्यक्ष मिन आंग हलिंग ने कहा कि म्यांमार की सरकार भूकंप राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए 500 बिलियन क्यात (लगभग 238.09 मिलियन डॉलर) आवंटित करेगी। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, एसएसी उपाध्यक्ष, परिषद के सदस्यों और अन्य संबंधित अधिकारियों ने योगदान दिया है। शुक्रवार को म्यांमार में

- **गत शुक्रवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद इस गुरुवार सुबह तक 2.8 से 7.5 तीव्रता के 66 झटके आए।**

आए घातक भूकंप के बाद मिन आंग ह्लाइंग ने अंतरराष्ट्रीय सहायता का आव्हान किया। 16 देशों और क्षेत्रों से बचाव दल, चिकित्सक और नर्सें 31 मार्च तक मानवीय सहायता और चिकित्सा आपूर्ति के साथ म्यांमार पहुँच चुके हैं। म्यांमार ने सोमवार को देश में आए भूकंप और व्यापक विनाश के बाद एक सप्ताह के शोक की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन विनाशकारी भूकंप से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

किसानों को उनके अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है - पायलट

सचिन पायलट ने रलावता में स्व. राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया व किसान सम्मेलन को संबोधित किया।

पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं विधायक सचिन पायलट ने दौसा के ग्राम रलावता में स्व. राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया एवं किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया।

दौसा, 04 अप्रैल।। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं विधायक सचिन पायलट ने कहा, मेरा मानना है कि किसान आत्मनिर्भर बनें, उनकी मेहनत का पूरा सम्मान हो और उनको अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है। हम सभी को प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हक के लिए काम करना होगा, ताकि उनका जीवन खुशहाल और समृद्ध बन सके।

सचिन पायलट शुक्रवार को दौसा के ग्राम रलावता में स्व. राजेश पायलट मूर्ति अनावरण एवं किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रुप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के दम पर जो लोग राजनीति करते हैं, सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन मेरे पिता स्व. राजेश पायलट जीवन पर्यन्त लोकसभा में किसानों की आवाज बुलंद करते रहे। उन्होंने किसानों को अधिकार देने के लिए हरसंभव प्रयास किये। मेरे पिताजी ने अल्प राजनैतिक जीवन में आमजन में जो विश्वास और प्यार

- **पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को राजनीति में एक लक्ष्य के साथ आना चाहिये और राजनीति में लक्ष्य को कभी नहीं बदलना चाहिये।**

बनाया, वह आज भी लोगों के दिलों में जिन्दा है। लोगों को राजनीति में एक लक्ष्य के साथ आना चाहिये, राजनीति में लक्ष्य कभी नहीं बदलना चाहिये।

उन्होंने कहा कि राजनीति में सबसे मजबूत कड़ी कार्यकर्ता होता है, वह जनता के सामने सरकार एवं पार्टी की विचारधारा को लेकर जाता है तथा लोगों का दिल जीतकर चुनाव में कार्य करता है। आज सत्ता के मद में चूर नेता उन कार्यकर्ताओं को नहीं पूछते हैं तथा उन्हें मंदिर-मस्जिद के बारे में बताया जाता है। किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा कि पहले क्रेडिट कार्ड केवल चुनिन्दा व्यापारियों के पास होते थे, आज हर किसान के पास क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। यह स्व. राजेश पायलट की देन है। वे सिद्धांतों की राजनीति करते थे, सर्व समाज को साथ लेकर चलते थे, सभी का विश्वास जीतने का प्रयास करते थे।

किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये धौलपुर-करौली सांसद भरोसीलाल जाटव, दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा, पूर्व विधायक महेन्द्र मीणा, पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी, पूर्व विधायक इन्द्राज गुर्जर, ममता भूपेश, ओमप्रकाश हुडला, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया सहित, अनेक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये। सम्मेलन को सम्बोधित करने से पूर्व, सचिन पायलट सहित अन्य अतिथियों ने स्व. राजेश पायलट की मूर्ति का का अनावरण किया।

नीतीश कुमार द्वारा वक्फ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा, "मेरा विश्वास था कि जेडीयू सदैव धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय तथा अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के पक्ष में खड़ी रहेगी। लेकिन पार्टी द्वारा इस विधेयक का समर्थन किये जाने से मेरा विश्वास हिल गया है। यह कृत्य उन करोड़ों समर्थकों के साथ विश्वासघात है, जिन्होंने बार-बार आपको मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचाया।"

उन्होंने आगे लिखा, "इसका असर सन्निकट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में साफतौर पर दिखाई दे जायेगा और व्यापक असंतोष के कारण, जल्दी ही, और बहुत सारे नेता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे।" जेडीयू यूथ विंग के पूर्व स्टेट सेक्रेटरी एम. राजू नय्यर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा है, "इस काले कानून के पक्ष में वोट देने के जेडीयू के निर्णय से मैं बहुत आहत हूँ तथा मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ।" जेडीयू एम.एल.सी. गुलाम गौस ने भी इस विधेयक के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियानी ने भी एन.डी.ए. सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में धर्मनिरपेक्ष तथा सांप्रदायिक तत्व खुलकर सामने आ गये। उन्होंने कहा कि इस नये कानून के प्रभाव पर चर्चा करने के लिये बहुत ही जल्दी एक मीटिंग बुलाई जायेगी तथा इसका सामना करने की रणनीति की योजना बनाई जायेगी। उन्होंने कहा, "यह ठोस कदम उठाने का समय है। मुस्लिमों को अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने के लिये तैयार हो जाना चाहिये, केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होन के बाद अब जनता की अदालत में पहुँच गया है, जिसका फैसला अक्टूबर-नवम्बर में उस समय आ जायेगा, जब विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित होंगे। जेडी (यू) प्रमुख तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह जुआ लाभदायक रहेगा या नहीं, विधेयक के सर्मथकों के लिये यह एक बड़ा मुद्दा है। विधेयक के विरोधी अपने तर्कों से जनता को अपना पक्ष समझाने की कोशिश करेंगे।

पीएचईडी चीफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूची को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने वरिष्ठता सूची को रद्द कर नए सिरे से वरिष्ठता सूची तैयार करने और उसके आधार पर अपीलार्थियों को पदोन्नित देने को कहा था। अधिकरण के आदेश के बावजूद विभाग ने आदेश की पालना नहीं की। इस पर अपीलार्थियों की ओर से अधिकरण में अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया। वहीं, मामला हाईकोर्ट रेफर होने पर अदालत ने चीफ इंजीनियर को अदालत में पेश होने को कहा, लेकिन अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए आगामी सुनवाई पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जमानती वारंट से तलब किया है। अदालत इस मामले में अब 7 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

युद्ध विधवा को 11 साल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1965 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऐसे में उन्हें 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। वहीं, बाद में इस जमीन को गैर मुमकिन तलाई की जमीन बताकर तथा आवंटन गलत होना बताकर राजस्व मंडल में रेफरेंस भेजा गया। राजस्व मंडल ने याचिकाकर्ता के गृह जिले में दूसरी भूमि आवंटित करने के आदेश दे दिए। वहीं, मई, 2022 में एसडीओ ने भूमि आवंटन का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया। इसके बाद अधिकारियों के बीच कागजी कार्रवाई होती रही, लेकिन उसे भूमि आवंटित नहीं की गई। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए कहा कि यदि मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो प्रमुख राजस्व सचिव अपना शपथ पत्र पेश कर कारण स्पष्ट करें।

हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, प्र.मंत्री मोदी की यूनुस को दो टूक

बैंकॉक, 04 अप्रैल। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 4 अप्रैल को बांग्लादेश के नेता मुहम्मद यूनुस के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

ढाका में तख्तापटल के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत आने और यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के बनने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं पर जोर दिया। दोनों नेता बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड की यात्रा पर हैं और यहीं बैंकॉक में दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। साथ ही संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा है।

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मोदी-यूनुस से मुलाकात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने प्रेस

- **बैंकॉक में बिनसरे शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मीटिंग हुई**
- **बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों की यह पहली मुलाकात है।**

कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी ने यूनुस से कहा कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखेंगे।

दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को खुलकर सामने रखा। यूनुस ने भरोसा दिया कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी।

वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली, 04 अप्रैल। संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई तेज होने लगी है। पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीने भी वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। ओवैसी ने कहा है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक के प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हैं। इस बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है।

स्टालिन ने एक और भावात्मक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उच्चकोटि की मेडिकल शिक्षा का दावा करता है तथा नीट से छूट भी चाहता है। राज्य के नीट एग्ज़ैम्पशन बिल को खारिज किये जाने की निन्दा करते हुये, स्टालिन ने कहा कि यह "भारत के संघीय इतिहास का काला अध्याय" है।

इस मुद्दे को चुनाव प्रचार के एक ठोस मुद्दे का रुप देते हुये, स्टालिन ने 9 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा की, जिसमें नीट के संबंध में अगली कार्यवाही के बारे में निर्णय लिया जायेगा। नीट को समाप्त करने की दिशा में उठाने जाने वाला अगला कदम-कानूनी तथा राजनैतिक- दोनों ही प्रकार का हो सकता है।

तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुये, स्टालिन ने केन्द्र के इस निर्णय की आलोचना करते हुये, इसे राज्य के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा उसके विद्यार्थियों की आकांक्षाओं पर हमले की संज्ञा दी। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि विधानसभा द्वारा दो बार सर्वसम्मति से पारित किया गया यह विधेयक सेवानिवृत्त जस्टिस ए.के. राजन की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था तथा इसमें केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा चाहे गये विस्तृत स्पष्टीकरण शामिल थे।

स्टालिन ने कहा, "चाही गई सभी बातें पूरी करने तथा सभी पूछताछों का जवाब देने के बावजूद, केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही माँग को निरंकुशतापूर्वक खारिज कर दिया है। यह घोर अन्याय तथा सहकारी संघवाद पर सीधा हमला है।"

स्टालिन ने मैडिकल एडमीशन में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने के तमिलनाडु के इतिहास पर जोर दिया। उन्होंने 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करूणानिधि द्वारा राज्य में शुरू की गई मैडिकल एडमीशन की व्यवस्था का जिक्र किया। इस व्यवस्था में, मैडिकल में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के बजाय स्कूली परफॉर्मेंस पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि इस नीति से ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की मैडिकल शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित हो गई थी। स्टालिन ने कहा, लेकिन जब से नीट की अनिवार्यता हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों तथा कम आय वाले परिवारों के बच्चे उन शहरी बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे, जो महँगी कोचिंग कक्षाओं का खर्च वहन कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे अनारक्षित क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी हो जायेगी तथा राज्य की चिकित्सा-व्यवस्था प्रभावित होगी।

लोकसभा व राज्यसभा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा, "आपके हिंदू मंदिरों के पास भी बहुत प्रॉपर्टी है आप वहां क्या कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "वक्फ बोर्ड के पास देश भर में कितनी जमीन है उस पर बहुत चर्चा हो रही है पर चार राज्यों में हिंदू मंदिरों के पास दस लाख एकड़ जमीन है।"

सिब्बल ने कहा, वक्फ बोर्ड सरकारी निकाय है और अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत है। उन्होंने कहा उसमें सांसद, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज और नौकरशाह हैं।

उन्होंने कहा, अगर ये नियुक्तियां सरकारी हैं तो कौन गलत काम कर रहा है। आपने इसे सुपरसीड क्यों किया? आप यह प्रावधान क्यों लाए? अगर गलती हो रही थी तो यह मुतवल्ली (वक्फ का अधीक्षक) द्वारा हो रही थी। मुतवल्ली वक्फ में अंदर ही अंदर सौदेबाजी करता है जिसे जिससे सारा कुप्रबंधन होता है आपको उसे ठीक करना चाहिए था।"

सिब्बल ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर लिमिटेशन एक्ट 1963 लगाने पर भी आपत्ति की। बिल 1995 के अधिनियम का भाग 107 को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को कब्जा की गई प्रॉपर्टी पर दोबारा दावा करने के लिए 12 साल की सीमित अवधि से छूट देता था।

उन्होंने कहा, आप अतिक्रमण करने वाले के साथ हैं यह कैसा प्रावधान है? आप वक्फ सम्पत्ति की रक्षा कर रहे है या अतिक्रमण की? इसके अतिरिक्त विधेयक कहता है कि यदि यह सवाल उठता है कि वक्फ की कोई प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है या नहीं तो राज्य सरकार कलैक्टर से ऊपर के अधिकारी को जांच करने व निर्णय लेने के लिए नामित कर सकती है। सिब्बल ने कहा, जब वो यह तय कर लेता है कि वह सम्पत्ति वक्फ की नहीं है तो उसे अंतिम निर्णय आने तक चुनौती नहीं दी जा सकती है। तब तक उस सम्पत्ति से डील नहीं कर सकते।

सिब्बल ने सरकार के इस तर्क को भी चुनौती दी वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी।

उन्होंने कहा जब वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम है तो सिविल कोर्ट इसे चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यह बात हिंदू एंडोमैंट्स एक्ट में भी मौजूद है और यह प्रबंधन के निर्णय को अंतिम बनाता है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एन्डाओमैंट्स एक्ट में मैनेजमेंट का निर्णय फाइनल है तो आपको कोई आपत्ति नहीं, पर अगर वक्फ के मामले में ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम है तो आपको आपत्ति है।

हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा के लिए हाईकोर्ट ने मंजूरी दी

कोलकाता, 04 अप्रैल। रामनवमी का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में रामनवमी पर करीब डेढ़ करोड़ लोग शोभा यात्राओं में शामिल होंगे। वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांतिपूर्वक रामनवमी का त्योहार माने की अपील की है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता से सटे हाबड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है। रामनवमी छह अप्रैल को मनाई जाएगी।

हाई कोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत देते हुए कहा है कि इसमें हथियारों की इजाजत नहीं रहेगी। अदालत ने बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगाई है। अदालत ने अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी को रैली को निकालन की इजाजत दी है।

- **लेकिन, कोर्ट ने बाइक रैली निकालने व डीजे पर रोक लगाई है तथा 500 लोगों को ही शोभायात्रा में शामिल होने की इजाज़त दी है।**
- **बंगाल में भाजपा वृहद् स्तर पर रामनवमी पर्व का आयोजन करने जा रही है। पार्टी का दावा है कि डेढ़ करोड़ लोग शोभायात्राओं में शामिल होंगे।**

अदालत ने रैली में 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी है। अदालत ने कहा है कि सभी जुलूस जीटी रोड के एक ही मार्ग से होकर पर निकलेंगे। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को हालात पर नजर बनाए रखने को कहा है। दरअसल, हावड़ा में रामनवमी पर शोभायात्राएं निकालने की परंपरा है। इस दौरान विवाद भी होते रहे हैं। पुलिस ने इस साल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीटी रोड के रास्ते पिछले 15 सालों से चली आ रही पारंपरिक रामनवमी शोभायात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना नामक हिंदूवादी संगठन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद, कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने फौरन आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि रामनवमी के जुलूस में कोई भी हथियार लेकर नहीं निकलेगा। भाजपा के सियासी रूप से मजबूत गढ़ उत्तर बंगाल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहाड़ी जिलों में ज्यादा फोर्स लगाई गई है।

ट्रम्प की टैरिफ घोषणाओं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गिरावट देखी गई है। दोनों बेंचमार्क, सेंसेक्स और एनएसई में गिरावट आई है, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ का असर अपेक्षाकृत हल्के रुप में झेला है।

उम्मीद की जा रही है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्तमान संकट से लाभ उठा सकता है, खासकर अमरिका और अन्य देशों के बाजारों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए। भारतीय बाजार फिर से अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों को आकर्षित कर सकता है क्योंकि यहां निवेश के अवसर मौजूद हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत के पास ऐसा अवसर है जो कई सालों में आता है। अमेरिकन टैरिफ के जवाब में, चीन ने अमेरिका से आयात पर कठोर टैरिफ लगाए हैं। उसने अमेरिका को दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात से लेकर कुछ चीनी तकनीकी उत्पादों तक के लिए निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। चीन की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने अमेरिकी आयात पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाकर "घबराहट" में यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह अंतिम चीज थी जिसे वे वहन कर सकते थे।

दूसरी ओर, यूरोप ने अमेरिकी आयात पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन अभी तक अमेरिका के खिलाफ नए टैरिफ की घोषणा नहीं की है। एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर आने वाला है। अमेरिका का केन्द्रीय बैंक, फैडरल रिज़र्व, अपनी नई मौद्रिक नीति की घोषणा करने वाला है और बाजार को पूरा विश्वास है कि वह ब्याज दरों में कटौती करेगा यह वर्तमान अंधियारे के बीच रोशनी की किरण साबित होगा। भारतीय केन्द्रीय बैंक के अधिकारी भी सोमवार से शुरु होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में मौद्रिक नीति पर विचार करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) निवेशकों की मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। हालांकि इसे तेज़ी से बढ़ती मुद्रास्फीति के जोखिमों के साथ संतुलित करना होगा।

विख्यात अभिनेता मनोज कुमार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, मनोज कुमार ने सुबह 3:30बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन की वजह दिल का दौरा बताई गई। रिपोर्ट ने यह भी पुष्टि की गई कि मनोज कुमार पिछले कुछ महीनों से डीकंपेंसेटेड लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी, 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भारतीय सिनेमा में मनोज कुमार के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनके नाम एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अलग-अलग श्रेणियों में सात फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। भारतीय कला में उनके अपार योगदान के सम्मान में सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्मे हरिकिशन गिरि गोस्वामी, विभाजन के बाद भारत आ गए थे। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का काफी शौक रहा। वह अशोक कुमार, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के बहुत बड़े फैन थे। उनकी हर फिल्म देखना वह काफी पसंद करते थे और उनकी फिल्मों से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपना नाम हरिकिशन से बदलकर मनोज कुमार कर लिया था।

लाल बहादुर शास्त्री से मनोज कुमार के करीबी रिश्ते थे। शास्त्री जी के नारे "जय जवान- जय किसान" को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने "उपकार" फिल्म बनाई थी जो बड़ी हिट साबित हुई।

'अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार में, उथल-पुथल व अराजकता प्रथम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वर्ण आभूषणों में भारत के सामने कठिन चुनौती है। इस क्षेत्र के मिडिल ईस्ट के प्रतिस्पर्धी 17 प्रतिशत ड्यूटी के साथ बेहतर स्थिति में हैं। इसके विपरीत, भारत को चांदी और हीरे के आभूषणों में थाईलैण्ड पर 10 प्रतिशत टैरिफ लाभ है, क्योंकि थाईलैण्ड पर 37 प्रतिशत रैसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। यह एक ऊँचे दांव वाली व्यवस्था है। एक तरफ, भारत के कार्पेट निर्यात तुर्की के कार्पेट निर्यात के सामने भारी नुकसान झेल सकते हैं, क्योंकि तुर्की के कार्पेट निर्यात पर केवल 10 प्रतिशत ड्यूटी है। दूसरी ओर, अमेरिका के आयातकों को भारत से जूते, वस्त्र और प्लास्टिक का सामान आयात करना अधिक लाभकर है, क्योंकि चीन और वियतनाम से आने वाले उत्पाद अब महंगे हो गए हैं।

एक अधिकारी, जो वर्तमान वार्ताओं में शामिल हैं, ने कहा, "वैश्विक व्यापार तुलनात्मक होता है। यह इस बारे में नहीं है कि आपका टैरिफ कितना ऊँचा है- यह इस बारे में है कि आपके प्रतिस्पर्धी का टैरिफ कितना बुरा हो सकता है।"

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का रुख सावधानीपूर्ण और आशावादी है। एक अधिकारिक बयान में मंत्रालय ने कहा कि विभाग, राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणाओं के निहितार्थों की "सावधानी से जाँच पड़ताल" का रहा है और "सभी हितधारकों, जिसमें भारतीय उद्योग और निर्यातक शामिल हैं, के साथ जुड़ा हुआ है। मंत्रालय ने इस संबंध में यह भी कहा कि बदलते व्यापार परिदृश्य से "नए अवसर" पैदा हो सकते हैं। फैडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन (एफ.आई.ई.ओ.) के डॉयरेक्टर जनरल, अजय सहाय ने कहा, "उच्च टैरिफ वैश्विक व्यापार विकास को धीमा करेगा। भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन काफी कम हद तक। अब हमें द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ताओं का उपयोग करना चाहिए, ताकि, हमारे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की जा सके और मजबूत क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके।"

कहा जा रहा है कि भारत और यू.एस. व्यापार टीमों के बीच वार्ता तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों एक व्यापक, बहु क्षेत्रीय बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमैंट (बी.टी.ए.) पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं, डिजिटल व्यापार ओर सप्लाई चेन लचीलापन शामिल हैं।

एक भारतीय वार्ताकार ने कहा, "दोनों पक्ष एकमत हैं। अमेरिका ने इस रैसिप्रोकल (प्रतिशोधी) टैरिफ के लिए 57 देशों की सूची बनाई है, जिसमें, भारत की तुलना में 33 देशों को अधिक कड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा है।

लेकिन आगामी सप्ताह यह बताएंगे कि क्या दिल्ली इस टैरिफ अशांति को, व्यापार में एक महत्वपूर्ण सफलता में बदल सकती है। लेकिन ऐसे विश्व में, जहाँ संरक्षणवाद बढ़ रहा है और गठजोड़ बदल रहे हैं, भारत के पास शायद पर्याप्त प्रभाव और सही समय है, जिससे वो स्थिति को अपने पक्ष में झुका सके।

भजनलाल ने प्रधानमंत्री,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संपत्तियों को लेकर वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं और अपारदर्शिता को समाप्त करने के लिए यह संशोधन आवश्यक था। यह वक्फ प्रशासन में पारदर्शी, जवाबदेह एवं निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ, गरीब व जरूरतमंदों को सशक्त भी बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और किसी भी प्रकार के अनुचित विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना भेदभाव के सभी समाजों, खासकर गरीब और पिछड़े मुस्लिमों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। तीन तलाक समाप्त करके मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाया गया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः2386031, 2386032, फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्सः01562-256908